राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ–2172/2018/ दिनांक :–

–:: आदेश ::–

श्री मदन मोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी, जिला–करौली को परिवादी श्री निरंजन सिंह, निवासी ग्राम–लोगटपुर से दिनांक 22.03.2018 को 20,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार करने एवं थाना ए.सी.बी, भरतपुर में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7, 13(1) (डी) 13(2) पी.सी.एक्ट के तहत् मुकदमा संख्या–71/2018 दिनांक 23.03.2018 दर्ज होने के कारण इन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक 530 दिनांक 26.03.2018 द्वारा इनकी गिरफ्तारी दिनांक 22.03.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित करते हुए निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा कार्यालय में किया गया था। श्री मदन मोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक (निल0) की प्रार्थना पर निलम्बनकाल मे इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा के स्थान पर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर के कार्यालय में किया जाता है। निलम्बनकाल में प्रार्थी को नियमानुसार 50% निर्वाह भत्ते का भुगतान मुख्यालय से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ–2172/2018/1051 दिनांक :– 20/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें तथा कार्मिक को नियमानुसार निर्वाह भत्ते का भुगतान करें।
3. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि.ब्यू./अशा/529–31 दिनांक 23.03.2018 के क्रम में।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी, जिला–करौली।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
7. श्री मदन मोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या–01 के।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।